न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 112 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

राज्य (द्वारा दीपक राम, सूचक) बनाम आनंद कुमार राम वगैरह

आदेश / कार्रवाई की तिथि	आदेश अंतर्गत धारा 255 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता	कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई तिथि सहित
19.03.2026	1. प्रस्तुत मामला अभियुक्त आनंद कुमार राम, सौरभ पासवान, राकेश कुमार, संत सरन प्रसाद, जीतु कुमार उर्फ विवेक कुमार, सन्नी प्रसाद, रंजीत कुमार, रामनाथ, प्रहलाद पासवान, निरंजन कुमार, प्रिंस कुमार एवं भोला पासवान के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126(2)/3(5), 109(1)/3(5) एवं 125 (B)/3(5) भारतीय नागरिक संहिता के अपराध हेतु विचारित किया गया है। साथ ही रंजीत कुमार उर्फ रंजीत पासवान एवं प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस पासवान के विरूद्ध धारा 303(2) भारतीय नागरिक संहिता के अतिरिक्त अपराध कारित करने हेतु विचारित किया गया है। 2. मामला बिहियां थाना काण्ड संख्या 90/2025, उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध 126(2), 115(2), 352, 125(B), 303(2), 117(2), 329(4), 109(1) एवं 3(5) भारतीय नागरिक संहिता के अपराध हेतु पंजीकृत है। प्राथमिकी के आवेदन के अनुसार अभियोजन के कथानक का सारांश इसप्रकार है। दिनांक 19.03.2025 को समय करीब 6 बजे शाम में सूचक एवं उसका भांजा अमित कुमार बिहियां चौरस्ता से बाजार करके बाईक से लौटने के क्रम में जैसे ही गांव के दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा, सभी विचारित 12 अभियुक्त अज्ञात 6 व्यक्तियों के साथ आकर पूर्व विवाद को लेकर सूचक के साथा गाली–गलौज करने लगे। सूचक एवं उसके भांजा की जान लेने के नियत से मारपीट करने लगे। सूचक की जान लेने की नियत से	सत्र न्यायाधीश 19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 112 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार 19.03.2026	आनंद कुमार राम, भोला पासवान एवं रंजीत पासवान सूचक के गले में गमछा फंसाकर गला दबाने लगे। सूचक का भांजा किसी तरह बचाया। उक्त सभी अभियुक्त ईंट–पत्थर एवं लाठी–डंडा से मारपीट करने लगे। सूचक का मोबाईल एवं सोने का चेन प्रिंस पासवान एवं रंजीत पासवान छीन लिये। सूचक भागकर घर गया, तो सभी अभियुक्त घर में घुसकर मारपीट एवं पथराव किये जिससे महिला भी घायल हुई हैं ओर अमित कुमार का पैर टूट गया है। मांती देवी के घर में घुसकर मारपीट किया गया एवं उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया। 3. अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा विचारित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 232/2025 दिनांक 29.05.2025 भारतीय नागरिक संहिता की धारा 126(2), 115(2), 352, 125(B), 303(2), 117(2), 329(4), 109(1) एवं 3(5) के अपराध से आरोपित करते हुए समर्पित किया गया है। 4. विचारित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 02.02.2026 को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 126(2), 115(2), 352, 125(B), 303(2), 117(2), 329(4), 109(1) एवं 3(5) के अपराध का संज्ञान लिया गया है एवं इसके उपरांत अभियुक्तों का वाद दौरा सुपुर्द किया गया है। 5. सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 09.03.2026 को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 126(2)/3(5), 109(1)/3(5) एवं 352/3(5) के अपराध का आरोप पत्र गठित किया गया है। साथ ही रंजीत कुमार उर्फ रंजीत पासवान एवं प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस पासवान के विरूद्ध धारा 303(2) भारतीय नागरिक संहिता के अपराध का अतिरिक्त आरोप का गठन किया गया है।	सत्र न्यायाधीश 19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 112 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार 19.03.2026	6. प्रतिरक्षा की कहानी यह है कि अभियुक्त निर्दोष हैं एवं इन्हें मिथ्या फंसाया गया है। 7. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में कुल 3 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया गया है। अभियोजन साक्षी 1 स्वयं सूचक दीपक राम, साक्षी संख्या 2 देव वचन राम एवं साक्षी संख्या 3 रामब्रत राम है। 8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या 1 सूचक दीपक राम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना के समय सभी अभियुक्त दुर्गा मंदिर के पास एकत्र हुए थे। सूचक गाड़ी आगे ले जाने को कहा, तो गाली–गलौज और धक्का–मुक्की होने लगा। इसके बाद सूचक और उसका भांजा अमित कुमार भागने लगे। भागने के क्रम में गिरने की वजह से सूचक व उसके भगीना को चोट आयी। साक्ष्यक्रम में साक्षी ने मामले के लिखित आवेदन को प्रदर्श 1 पहचान किया है। प्रतिरक्षा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि लिखित आवेदन को किसने लिखा, याद नहीं है। आवेदन पढकर नहीं सुनाया गया है। भागने के क्रम में गिरने की वजह से चोट आयी, किसी ने धक्का नहीं दिया था। आज न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दिया है। 9. साक्षी संख्या 2 देव वचन राम है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष बयान नहीं हुआ था। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के	सत्र न्यायाधीश 19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 112 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार 19.03.2026	क्रम में साक्षी को पुलिस के समक्ष बयान दिये जाने एवं बयान में धटना के समर्थन किये जाने की बात का सुझाव दिया गया है, जिससे साक्षी ने इनकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्तों से मिलकर सही बात को छिपा रहा है और झूठी गवाही दे रहा है। प्रतिरक्षा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आज न्यायालय में बिना किसी जोर–दबाव के स्वेच्छा से गवाही दिया है। 10. अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामब्रत राम ने भी अपने मुख्य परीक्षण में मामले की घटना से स्वयं को अनभिज्ञ बताते हुए कहा है कि पुलिस के समक्ष बयान नहीं हुआ था।अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी को पुलिस के समक्ष बयान दिये जाने एवं बयान में धटना के समर्थन किये जाने की बात का सुझाव दिया गया है, जिससे साक्षी ने इनकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्तों से मिलकर सही बात को छिपा रहा है और झूठी गवाही दे रहा है। प्रतिरक्षा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आज न्यायालय में बिना किसी जोर–दबाव के स्वेच्छा से गवाही दिया है। 11. जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 255 में स्पष्ट प्रावधान है – ***" यदि सम्बद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो***	सत्र न्यायाधीश 19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 112 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार 19.03.2026	***न्यायाधीश दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा।"*** 12. अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत उक्त तीनों साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अपने–अपने साक्ष्यक्रम में सूचक एवं तीनों साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है, अपितु सूचक ने तो यह कहा है कि भागने के क्रम में गिरने की वजह से चोट आयी। इसप्रकार अभियोजन की ओर से ऐसा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तों ने भी इनके विरूद्ध गठित आरोप का कोई अपराध कारित किया है। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत आरोपी अभियुक्त की जॉच को समाप्त किया जाता है। तद्नुसार, अभियुक्त आनंद कुमार राम, सौरभ पासवान, राकेश कुमार, संत सरन प्रसाद, जीतु कुमार उर्फ विवेक कुमार, सन्नी प्रसाद, रंजीत कुमार उर्फ रंजीत पासवान, रामनाथ, प्रहलाद पासवान, निरंजन कुमार, प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस पासवान एवं भोला पासवान को इनके विरूद्ध दर्ज बिहियां थाना काण्ड संख्या 90/2025 में गठित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। सभी आरोपी जमानत पर हैं। अतः सभी आरोपियों को एवं इनके जमानतदारों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के जमानत बंधपत्र के दायित्य से उन्मोचित किया जाता है। **लेखापित एवं त्रुटिशोधित** **(पुरूषोत्तम मिश्र)** **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,** **भोजपुर, आरा।** **19.03.2026**	